

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-4/150/एक-1-2017-20(27)/2016

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन वांछित अभिलेख, रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल, राजस्व ग्राम की अधिसूचना तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों से सम्बन्धित उद्धरण, पत्रों की छाया प्रतियाँ अपरिहार्य कारणवश निजी संस्थान से करायी गयी हैं। इस कार्य हेतु श्री अजेन्द्र कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-1 द्वारा रू0 1458/- (रूपये एक हजार चार सौ अट्ठावन मात्र) का भुगतान अपने निजी स्रोतों से वहन किया गया। साक्ष्य स्वरूप कैश मेमो मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

2. अतः श्री अजेन्द्र कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-1 द्वारा किये गये उपरोक्त व्यय रू0 1458/- (रूपये एक हजार चार सौ अट्ठावन मात्र) का भुगतान की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अधीन अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय (राजस्व विभाग)-03-सचिवालय-08-कार्यालय व्यय के नामें डाला जायेगा।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-150(1)/एक-1-2017-20(27)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, राजस्व (लेखा) को दो प्रतियाँ एवं बिल मूल रूप में।
4. श्री अजेन्द्र कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-1
5. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

shashnadesh.up.nic.in